<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>1.06.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने आईडीएफसी बैंक धोखाधड़ी में चल रही जांच के सिलसिले में 29.05.2026 को रियल एस्टेट व्यवसायी विक्रम वाधवा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

अब तक की गई जाँच में हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और चंडीगढ़ व पंचकुला स्थित दो निजी स्कूलों के बैंक खातों से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के माध्यम से 645 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का गबन करने का पता चला है। विक्रम वाधवा मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसने रिभव ऋषि, अभय कुमार, बैंक अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके सरकारी धन का गबन किया। विक्रम वाधवा अपराध से प्राप्त आगम के सृजन, लेयरिंग और छिपाने में सहायक रहा है और उसने गबन किए गए धन से उत्पन्न भारी मात्रा में नकदी के अलावा अपने व्यक्तिगत खाते में 70 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आगम प्राप्त की। उसने आगे इन अपराध की आगम को अपने से संबंधित विभिन्न संस्थाओं में निवेश किया और अपराध की आगम का उपयोग करके कई अचल संपत्तियां भी खरीदीं।

इस धोखाधड़ी में, विभिन्न मध्यस्थ शेल संस्थाओं, जैसे कि मेसर्स कैपको फिनटेक सर्विसेज, मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, आर.एस. ट्रेडर्स, मेसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरुज प्राइवेट लिमिटेड आदि को सरकारी विभाग के विभिन्न खातों से सीधे गबन किया हुआ धन प्राप्त हुआ। इसके बाद गबन किए गए धन को आरोपी व्यक्तियों और उनसे संबंधित संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। जांच के दौरान पता चला है कि इन मध्यस्थ शेल संस्थाओं से सैकड़ों करोड़ रुपये विभिन्न ज्वैलर्स को हस्तांतरित किए गए हैं और इन ज्वैलर्स ने इस बैंकिंग लेनदेन के बदले नकद प्रदान किया है। रिभव ऋषि ने अपने सहयोगियों के साथ उक्त नकद राशि को विक्रम वाधवा सहित विभिन्न सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों को आगे वितरित किया। पूरी मनी ट्रेल का पता लगाने और अन्य लाभार्थियों और वहां से अर्जित संपत्तियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

पी.एम.एल.ए., 2002 की धारा 19 के तहत विक्रम वाधवा को 29.05.2026 को गिरफ्तार करने के बाद माननीय विशेष न्यायालय (पी.एम.एल.ए.) ने अभियुक्त की 02.06.2026 तक 4 दिन की ई.डी. हिरासत प्रदान की है। इस मामले में इससे पहले रिभव ऋषि और अभय कुमार को 11.05.2026 को ई.डी. द्वारा गिरफ्तार किया गया था और 11 दिनों की रिमांड के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

आगे की जाँच जारी है।